कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला सिवनी (म०प्र०)

क्रमांक / 1110 /भू-अभि/वे.जी.से./2025 सिवनी दिनांक 09/09/2025

प्रति,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
सर्व जिला सिवनी म.प्र।

विषय :- **डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ वर्ष 2025-26 निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने एवं निजी पडत भूमि (कृषि उपयोग भूमि) का सर्वेक्षण जिओ फेंस एवं फोटो के साथ करने के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :- **1.कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर का पत्र क्र. MPLRS/DCS/kh- 2025-26/1151 भोपाल दिनांक 09.07.2025 |**
2. कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर का पत्र क्र./1400/MPLRS/AgriStack/DCS/2025 भोपाल दिनांक 04.09.2025 |

-------00-------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं समय सारणी के अनुसार डिजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम खरीफ वर्ष 2025-26 अंतर्गत फसल गिरदावरी का कार्य 15 सितंबर तक शत प्रतिशत पूर्ण कराया जाना है । वर्तमान में मौके पर गिरदावरी का कार्य प्रचलित है जो कि आज दिनांक तक 63% तक ही कार्य पूर्ण किया गया है तथा 37% कार्य अभी भी अपूर्ण है। उपरोक्त लंबित गिरदावरी कार्य आगामी 04 दिवस में शत प्रतिशत पूर्ण कराया जाना है।

संदर्भित पत्र क्र.02 के माध्यम से लेख किया गया है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एग्रीस्टैक संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 के निर्णय अनुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत निजी पडत भूमि (कृषि उपयोग भूमि) की जानकारी जिओ फेंस के माध्यम से फोटो सहित दर्ज की जाना है, इस सर्वेक्षण कार्य हेतु नियत राशि स्थानीय युवा को देय होगी। उक्त कार्यवाही भी वर्तमान में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ वर्ष 2025-26 के साथ ही पूर्ण कराया जाना है।

अतः संदर्भित पत्रों के माध्यम से जारी दिशा निर्देशानुसार डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य समयसीमा 15 सितंबर तक शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने तथा निजी पडत भूमि की जानकारी जिओ फेंस के माध्यम से फोटो सहित दर्ज किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ पटवारी/लोकल यूथों को निर्देशित कर कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

Digitally signed by
Vijay Kumar Sen
Date: 09-09-2025
13:26:17

डिप्टी कलेक्टर
जिला-सिवनी

पृ. क्रमांक / 1110 A /भू-अभि/ रा. नि. /2025 सिवनी दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि :-1.आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर म.प्र.की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2.अनुविभागीय अधिकारी (रा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
जिला-सिवनी